

प्ररूप - 10

पेटेंट अधिनियम, 1970

(1970 का 39)

और

पेटेंट नियम, 2003

पेटेंट के लिए संशोधन के लिए आवेदन

(धारा 44, नियम 75 देखिए)

1. एक से अधिक आवेदकों की दशा में स्तंभ (क) से (ग) को दुहराएं	मैं / हम..... (क) ² (ख) ³ (ग) ⁴
2. पूरा नाम लिखें, यदि आवेदक प्रकृत व्यक्ति हो तो प्रारंभ में कुटुंब नाम या मूल नाम लिखें	(क) ² (ख) ³ (ग) ⁴
3. पूरा पता जिसमें डाक सूचक संख्या / कोड और राज्य और / या देश भी है, लिखें	(क) ² (ख) ³ (ग) ⁴
4. राष्ट्रीयता लिखें :-	अनुरोध करता हूँ / करते हैं कि.....को दिए गए पेटेंट सं.....तारीख.....में
5. पूरे पते के साथ डाक सूचक संख्या / कोड और राज्य सहित टेलीफोन सं. और फैक्स नं०.	प्राप्तकर्ता के नाम के स्थान पर मेरे / हमारे नाम को प्रतिस्थापित करके संशोधन किया जाए तथा अपने अनुरोध के समर्थन में मैं / हम निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करता हूँ / करते हैं ।
6. आवेदक(कों) या प्राधिकृत रजिस्ट्रीकृत पेटेंट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए

<p>7. उस प्रकृत व्यक्ति का नाम जिसने हस्ताक्षर किए हैं ।</p>	<p>भारत में तामील के लिए मेरा / हमारा पता 5..... है । आज तारीख.....20 (हस्ताक्षर)⁶..... (.....)⁷</p> <p>सेवा में,</p> <p>पेटेंट नियंत्रक, पेटेंट कार्यालय, पता.....</p>
--	---

टिप्पण :- फीस के लिए पहली अनुसूची देखिए ।